JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office :

Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)

T: +91 124 4674500, 4674550 F: +91 124 4674599 W: www.jbmgroup.com



Ref. No: JBML/SE/Q1/19-20/7\$_

Date: 11th April, 2019

BSE Limited Phiroz Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001 The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G- Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051.

Scrip Code: 520066

Scrip Code: JAYBARMARU

Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Jansatta (Hindi) in Delhi edition and Financial Express (English) in Delhi edition on 11th April, 2019 for giving intimation of the meeting of Board of Directors of the Company which is scheduled to be held on Thursday, 18th Day of April, 2019 to consider and approve the audited Financial results for the 4th quarter ended 31st March, 2019, Annual Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2019 and recommendation of Dividend, if any for the financial year 2018-19.

You are requested to please take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora)

Company Secretary

Encl.: As above

Works:

Plant I: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T:. +91 124 4887200, F: +91 124 4887300

Plant II: Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332

Plant III : Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952

Plant IV: Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawal - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203

Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104-06. F: +91 11 26427100

CIN: L29130DL1987PLC027342

बकाया नहीं चुकाने पर एम्सटर्डम में जेट एअरवेज का विमान जब्त

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा)।

संकट में फंसी निजी क्षेत्र की एअरलाइन जेट एअरवेज की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। युरोप की एक कार्गो सेवा प्रदाता ने बकाए का भुगतान नहीं होने की वजह से कंपनी के बोइंग विमान को एम्सटर्डम हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया।

एअरलाइन के एक सूत्र ने कहा कि इस विमान के जरिए बृहस्पतिवार से मुंबई से एम्सटर्डम के लिए उड़ान (9 डब्ल्यू 321) सेवा का परिचालन किया जाना था। एअरलाइन के एक सुत्र ने बुधवार को कहा- कार्गो एजेंट ने एअरलाइन की ओर से बकाये का भुगतान नहीं होने की वजह से जेट एअरवेज का बोइंग 777-300 ईआर (वीटी-जेईडब्लू) अपने कब्जे में ले लिया। पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं होने की

वजह से जेट एअरवेज अपने बेड़े के 75 प्रतिशत से अधिक विमानों को खड़ा कर चुकी है। अब एअरलाइन सिर्फ 25 विमानों के जरिए परिचालन कर रही है, जबकि पहले वह 123 विमानों के साथ परिचालन कर रही थी।

नकदी संकट की वजह से एअरलाइन अपने 16,000 से अधिक कर्मचारियों के आंशिक वेतन का ही भुगतान कर पा रही है। कंपनी के पायलटों के एक वर्ग ने मंगलवार को कंपनी प्रबंधन को कानुनी नोटिस भेजा है। फिलहाल कंपनी का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला बैंकों का गठजोड़ कर रहा है। कंपनी ने उपरोक्त उड़ान को रद्द किए जाने की पृष्टि करते हुए कहा है कि 'परिचालन से जुड़े कारणों' की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। एक सूत्र ने बताया कि यह विमान मंगलवार को मुंबई से एम्सटर्डम गया था। इसे गुरुवार को वापस आना था।

जीपीएफ पर आठ फीसद ब्याज बरकरार

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)और अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर अप्रैल - जून तिमाही के लिए आठ फीसद पर बरकरार रखा है। यह ब्याज दर लोक भविष्य निध (पीपीएफ) पर मिलने वाले ब्याज के बराबर है।

आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अधिसुचना में कहा - जीपीएफ और अन्य सामान्य बचत योजनाओं पर ब्याज दर एक अप्रैल से 30 जून 2019 के लिये 8 प्रतिशत होगी। यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों , रेलवे और रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागु होगी। पिछले महीने सरकार ने चाल वित्त वर्ष की पहली तिमाही

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर को बरकरार रखा था।

अदालत ने आरबीआइ से पूछा, बिना मंजूरी के 'गूगल-पे' कैसे कर रहा काम

नई दिल्ली,10 अप्रैल (भाषा)।

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से पूछा कि गुगल का मोबाइल भुगतान एप 'जी पे' उसकी आवश्यक मंजूरी के बिना कैसे वित्तीय लेनदेन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश एजे भामभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आखीआइ से उक्त सवाल पूछा। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि गुगल पे (जी पे) भुगतान व निपटान कानुन का उल्लंघन करते हुए भुगतान प्रणाली सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है। गूगल के पास भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में काम करने को

लेकर केंद्रीय बैंक की मंजूरी नहीं है।

अदालत ने आरबीआइ और गुगल इंडिया को नोटिस जारी कर अभिजीत मिश्र की याचिका में उठाए गए मुद्दे पर उनका रुख पूछा है। याचिका में दलील दी गयी है कि आरबीआइ की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सुची में जी पे का नाम नहीं है। केंद्रीय बैंक ने यह सुची 20 मार्च 2019 को जारी की थी।

पीठ ने आरबीआइ से पूछा- वह बिना मंजूरी के कैसे काम कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। याचिका में निजता के मसले को भी उठाया गया है। इसमें दावा किया गया है- जी पे की भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के रूप में अनाधिकृत परिचालन के जरिये बिना किसी निगरानी के ही

लोगों के आधार, पैन, वित्तीय लेनदेन आदि से जुड़ी सुचनाओं तक पहुंच है। याचिका में अदालत से गुगल को जी पे के अनाधिकृत परिचालन पर तुरंत रोक लगाने के लिए आरबीआइ को निर्देश देने का आग्रह किया है।

याचिका के अनुसार भुगतान प्रणाली परिचालकों से जुड़े एक सवाल के जवाब में आरबीआइ ने कहा कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने को लेकर नियामक से मंजुरी जरूरी है। इसमें कहा गया है कि आरबीआइ ने यह भी कहा कि जीपे अधिकृत भुगतान प्रणाली की सूची में शामिल नहीं है। भीम आधार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 30 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जी पे भीम आधार एप का सूचीबद्ध भागीदार नहीं है।

सेल ने स्वदेशी तोप 'धनुष' के लिए विशेष इस्पात की आपूर्ति की

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने देश में बनी धनुष तोप के लिए विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात की आपूर्ति की है। सेल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सेल ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात की आपूर्ति की है।

कंपनी ने बयान में कहा- भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने देश की पहली स्वदेशी और सबसे बड़ी तोप के लिए इस्पात की आपूर्ति की हैं। यह तोप आठ अप्रैल 2019 को भारतीय सेना में शामिल की गई है। कंपनी ने कहा कि सेल ने एक बार फिर से देश की आवशचकताओं को पूरा करने और भारत की रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। स्वदेशी तोप धनुश को जबलपुर स्थित आयुध कारखाने में डिजाइन और तैयार किया गया है। सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा- सेल भारतीय रक्षा कार्यक्रमों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष श्रेणी के इस्पात की आपूर्ति करने के

लिए तैयार है।



CIN: L29130DL1987PLC027342

89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फीन: 011-26427104; फैक्स: 011-26427100

E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

सूवना

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीय-

दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2019

के विनियम 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचन

दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल क

बैठक, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कंपनी व

चौथी तिमाही के लिये और 31 मार्च 2019 क

समाप्त वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

पर विचार करने और उनका अनमोदन करने

हेत् तथा वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए

लामांश, यदि कोई हो, की सिफारिश करने हेत्

18 अप्रैल, 2019 को गुरुग्राम (हरियाणा)

उक्त बैठक का उपरोक्त विवरण कंपनी व

वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com

और www.nseindia.com से भी प्राप्त की

इसके अलावा, इन्साइडर टेडिंग की रोकथाम

के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप

कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये टेडिंग

विंडो कंपनी के निदेशकों / अधिकारियों

पदनामित कर्मचारियों के लिये 3 अप्रैल, 2019

से 18 अप्रैल, 2019 को परिणाम सार्वजनिक

किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने

कृते जय भारत मारूति लिमिटेड

(रवि अरोड़ा)

आयोजित की जायेगी।

तक, के लिये बंद रहेगी।

तिथि : 10 अप्रैल, 2019

फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, दोबसाईट: www.pnbhousing.com शास्त्रा का पता: भू तल, एस-३, उपहार सिनेमा कॉप्प्लैक्स, प्रीत पार्क एक्स्टेशन, तई दिल्ली-110041 ३-पल: greenpark@pnbhousing.com ऋणधारको एवं गारन्टरों के लिये सुचना

श्रीपती रापना पाजी एर्स श्री देसाशीय पाजी तथा अन्य इच्छक पहिंचों को राचित किया जाता है कि पीएनश्री ए-गएफएल ने राप्पति रां.: फ्लैंट नं. 542, पॉकेंट नं. बी-1, भू राल, लोक नायक पुरम, दिल्ली, भारत-110041, माप 490 वर्ग फीट का अधिग्रहण कर उसकी नीलामी कर दी है।

pnb Housing

्र एतदुद्वारा इ.म. आफ्को सूचित करते हैं कि 11 मई, 2019 को या उससे पूर्व फ्लैट नं. 542, पॉकेट नं. श्री ा, भू ताल, लोक नायक पुरम, दिल्ली, भारत - 110041 से इन्डोन्टरी सूची तिथि 28.03.2017 के अनुसार अपने सापानो/ मरेलू वस्तुओं को यहां से हटा लें, अन्यथा, पीएनबी एनएफएल किसी क्षति अथवा नुकसान के लिये उत्तरहायी नहीं होगा राधा कानूनी प्रायधानों के अनुसार उसका निषटारा/ भिक्री कर दिया जायेगा। आगे किसी भी प्रकार की पुछराछ अथना स्पष्टीकरण के लिये आप हमारे अधिकारी भी निकास मामू. मोभाईल नं. 3360203253 अथवा ग्रीन पार्क शाखा में राप्पर्क कर राकरी हैं। प्राधिकत अधिकारी,

स्थानः नई दिल्ली

पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लिपिटेड

BHARAT NIDHI LTD.

Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982, E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website :- www.bharatnidhi.com CIN No. L74899DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholders of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share Certificates and application has been made to the Company by them / their legal heir to issue

Late Sakthivageesan Late Sambasivam ny person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the

Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Name of the Shareholder Father/ Husband's Name

Place: New Delhi Date: April 10, 2019

Company Secretary

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार

माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

कम्पनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमाबली, 2014 के नियम 30(७) के मामले में

सायनोकेम ऑर्गैनिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 54, इन्दर एन्क्लेब, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110007 में है, आबेदक के मामले में एतद्द्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' मैं उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 14 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमॉरिंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्ताबित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति अधोहरताक्षरी के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें आवेदक के लिये तथा उसकी और से

आशु जैन

(02751209)

एव.नं. ३, गुप्ता कॉलोनी, कन्हेंबा साहब बौक के निकट, यमुना नगर, हरियाणा-135001



फोनः 011-28541040

कञ्जा सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रकान) निवागवाली, 2002 के निवाम 3(1) के साथ पंडित परिशिष्ट-IV के अनुसार) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहस्ताक्षरी ने मांग सूचना 1.1.2015 जारी कर ऋणधारक मैं. प्रोटोनिक मेडिकल सिस्टम्स प्रा.लि. को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज एवं खर्चे के साथ 31.12.2018 को रू. 46,44,767,22/- (रुपये छियालिस लाख चौआलिस हजार सात सौ सड़सठ एवं पैसे बाईस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को बापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 6 अप्रैल, 2019 को अधीहरताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधौहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्मत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे

यहां नीचे वर्णित सम्मत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्मत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 23,44,767.22 (रुपये तैईस लाख चौआलिस हजार सात सौ सड़सठ एवं पैसे बाईस मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

450 वर्ग यार्ड्स, अशोका एन्क्लेव मैन से शामिल सम्मत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

अवल सम्पति का विवरण |ग्राम पल्ला, जिला फरीदाबाद, हरियाणा–121003 में स्थित प्लॉट नं. 201, क्षेत्रफल माप

स्थानः दिल्ली

दिशाएं: उत्तर: प्लॉट नं. 200, दक्षिण: प्लॉट नं. 202, पूर्व: प्लॉट नं. 185 एवं 186, पश्चिमः शेर शाह सुरी रोड तिथि: 6.4.2019 श्री सुनील कुमार

मुख्य प्रनिधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

हादसे के बाद हिंडाल्को ने झारखंड के एलुमिना संयंत्र में काम रोका

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने झारखंड के मुरी में स्थित अपने एलुमिना संयंत्र में हादसे के बाद परिचालन अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। दरअसल, संयंत्र से जुड़े लाल कीचड़ भंडारण क्षेत्र (बॉक्साइट के अवशेष स्थल) के धंस जाने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक संविदा कर्मी लापता है। इसके बाद कंपनी ने परिचालन को बंद कर दिया।

हिंडाल्को ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि मंगलवार को झारखंड के मुरी में एलुमिना संयंत्र से जुड़े लाल अवशेष भंडारण क्षेत्र में एक हादसा हुआ। हादसा मलबे के धसने से हुआ। कंपनी ने कहा कि एहतियात बरतते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए परिचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शुरुआती जांच में पर्यावरण या संपत्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने के संकेत मिले हैं। मलबे को हटाने के लिए प्रयास जारी है। कंपनी ने कहा कि घायलों का इलाज कराया जा रहा हैं और एक देका कर्मी लापता है।



शर्यालय बिल्डिंग, रायपेड्डा, चेन्नै - 600 014 में एकीकृत [विधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए शीलबंद नेविदा आगंजित करता है। निविदा दस्तावेज और अन्य विवरणों को डातमलीड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.indianbank.in/tenders देखे।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10-05-2019. सहायक महाप्रबन्धक (पी एवं ई)

कंपनियों के शेयर टूट गए।

कमजोर वैश्विक रुख से सूचकांक 354 अंक टूटा

कमजोर वैश्विक रुख के बीच एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में अचानक चले बिकवाली के दौर से बंबई शेयर बाजार का सुचकांक बुधवार को 354 अंक टूट गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 353.87 अंक या 0.91 फीसद के नुकसान से 38,585.35 अंक पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटी भी अनुमान लगाया है। 87.65 अंक या 0.75 फीसद के नुकसान से 11,584.30 अंक रह गया।

एचडीएफसी बैंक में 2.07 फीसद और एचडीएफसी में 1.96 फीसद का नुकसान रहा। एचडीएफसी समूह की दोनों कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट का सुचकांक के 354 अंक के नुकसान में करीब आर्ध का हिस्सा रहा। कारोबारियों ने कहा कि निजी इक्किटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केकेआर की एचडीएफसी समूह की दोनों कंपनियाँ में कुछ

हिस्सेदारी बेचने की खबरें आई हैं जिससे इन उन्होंने कहा कि इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय

मुद्राकोष (आइएमएफ) ने विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.3 फीसद कर दिया है जिससे बाजार धारणा पर असर पद्म । आइएमएफ ने 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 फीसद और अगले साल 7.5 फीसद रहने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय

संघ से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाने की धमकी दी है जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा है। सुचकांक की अन्य कंपनियों में भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, टीसीएस, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एसबीआइ, इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 3.28 फीसद तक नीचे आ गए। वहीं टाटा मोटर्स, हिदस्तान युनिलीवर, कोटक बैंक,कोल इंडिया, सनफार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज आटो और ओएनजीसी के शेयरों

में 4.68 फीसद तक का लाभ रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा अनुसंधान प्रमुख दीपक जसानी ने आइएमएफ

द्वारा वैश्विक आर्थिक वृद्धि परिदृश्य को घटाने की खबरों से धारणा प्रभावित हुई। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा है। इससे भी धारणा पर असर हुआ। निवेशक कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजों से पहले सतर्कता बरत रहे हैं।

शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,212.35 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 688.65 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्की 0.53 फीसद और हांगकांग का हैंगसेंग 0.13 फीसद नीचे आया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.49 फीसद चढ गया और शंघाई कम्पोजिट 0.16 फीसद लाभ में रहा। शुरुआती कारोबार में युरोपीय बाजार लाभ में चल रहे थे।

बीमा कंपनियों को जुलाई से पालिसीधारकों को उनके दावे की स्थिति की जानकारी देनी होगी

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

बीमा कंपनियों को एक जुलाई से पॉलिसी धारक के साथ उसके दावे के निपटान की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें पालिसीधारकों को उसके बीमा दावे के विभिन्न चरणों की स्थिति के बारे में बताना होगा।

बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र में कहा कि बीमा कंपनियों को पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट और पारदर्शी संचार नीति अपनाने की जरूरत है। दावों के मामले में इरड़ा ने कहा कि पालिसीधारकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि दावा

आवेदन की स्थिति क्या है। बीमा कंपनियों को एक जुलाई 2019 से यह व्यवस्था लागु करनी होगी। नियामक ने कहा- निष्पक्ष और पारदर्शी दावा निपटान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को दावों के निपटान की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। पालिसीधारकों को बताना होगा कि प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में दावों की क्या स्थिति है।

इरडा ने कहा- स्वास्थ्य बीमा के मामले में जहां दावा सेवा के लिए 'तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए)' को जिम्मेदारी दी गई है, वहां यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होगी कि दावाकर्ताओं को दावे की स्थिति के बारे में जानकारी मिले। उन्हें दावा निपटान के विभिन्न

चरणों में आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी

बीमा नियामक ने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और साधारण बीमा करने वाली सभी कंपनियों से कहा है कि वह पालिसी जारी होने और बीमा प्रीमियम भुगतान के बारे में पत्र, ई-मेल, एसएमएस या अन्य मंजुरी प्राप्त इलेक्ट्रानिक तरीके से ग्राहकों को सूचना देगी। परिपत्र में कहा गया है- स्वास्थ्य बीमा के मामले में जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टीपीए की सेवा ली जाती है, बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि आइडी कार्ड जारी होने समेत सभी संबद्ध सुचनाएं या तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्टेटर हारा भेजी जाए या संबंधित बीमा कंपनी स्वयं यह करे।

कंपनी सचिव कार्यालय वसूली अधाकारी-। ऋण वसूली अधाकरण-॥।, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली — 110 001 बिक्री उदघोषणा नोटिस दिनांकित: 20.03.2019 आर. सी. सं. 02/2018

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

ओरियंटल बैंक कॉमर्स बनाम श्री अरूण कुमार पवार सीडी नं. 1 श्री अरुण कुमार पवार पुत्र स्वं. विश्वनाथ, प्रोपराईटर मैसर्स सेंटर बी–5/228, सैक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली – 110085 <u>और</u> सम्पत्ति नं. 11, भूतल, पॉकेट-6, सैक्टर-25, रोहिणी, दिल्ली — 110085

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋ**ण वसूली अधिकरण—।।।, दिल्ली ओ. ए सं 294/2015 में आपके द्वारा देय <u>रू. 40.41.828/— (रु. चालीर</u>** लाख इक्तालीस हजार आठ सौ अट्टाईस मात्र) दिनांक 31.03.2015 से प्रमावी 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतो का प्रमाण–पत्र वं

और जैसा कि अधोहरताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया हैं।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 15.05.2019 को अप 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच (स्वत: विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई--नीलामी तथ बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा वेबसाइट http://www.drt.auctiontiger.net पर **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज** प्रा. लि., ए-201 / 208, वॉल स्ट्रीट -- । ।, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380008, गुजरात इष्डिया, फोन नं +91-079-40230808-816/817/818/821/824/831/832, फैक्स नं. +91-079-40016876 के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नंबर 08980690773, ई—मेल** : <u>kushal@auctiontiger.net</u>, **श्री रिकिन, मो. 09978591888 ई-मेल : rikin@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।** अन्य विवरण हेत् श्री संजय गुप्ता, सी एव के मुख्य प्रबंधक, जिसका मो. नं. **9799961244 से सम्पर्**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निधारित किया गया वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अधवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अघोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अघोहस्ताक्षरी किसी ब्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं. सम्पत्ति का विवरण आरक्षित मूल्य / घरोहर राशि सम्पत्ति नं. 11 (क्षेत्रफल 32 वर्ग मी.) पॉकेट-6. रु. 41,00,000/- (रु. इक्तालीस लाख मात्र) सैक्टर-25, रोहिणी, दिल्ली-110085 में रिथत धरोहर राशि: रु.4,10,000/- (रु. चार लाख दस हजार मात्र) सम्पत्ति घरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

बोली, कम से कम रू. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेत् रोक कर रखी जा सकती है।

 किसी लॉट के उच्चतम बोलींदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है। इच्छुक बोलीदाताओं को घरोहर सशि पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली ।

देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी - |, डीआरटी- | | |, दिल्ली को दिनांक 13.05.2019 तक देनी होगी |** घरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए 5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उदधोषणा कि वे स्वय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे हैं. जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा

करना बोली अरवीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / प्रतिनिधित्व को एक्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित खेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा। सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार** य अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000 /-तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000 / — से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी—।।। दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी- ।, डीआरटी- । । ।, दिल्ली के पास जमा करना होगा ।

 इच्छुक बोलीदाताओं हेतु सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 06.05.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपी. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है। 9. निर्धारित अवधि के भीतर भूगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उदघोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता केता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में सभी दावे जब्त हो जाएगें।

10 सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

11 अधोहरताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के समबंध में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नहीं है हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएसडी जमा करने से पहले, अपने ख़यं के हित में, बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेत् के बकाया राशि की स्वंय जाँच कर लें। 13. असफल बोलीदाता / ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में

पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची 🖊 सुनवाई की तारीख के बाद गापर 14. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रामाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनिल कुमार यादव) मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 20 मार्च, 2019 को दिया गया। वसूली अधिकारी-।, ऋणवसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली

जेट एअरवेज: बोलीदाता कंपनियों को कर्ज चुकाने की क्षमता का देना होगा प्रमाण

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)

नकदी संकट से जुझ रही जेट एअरवेज के लिए आपस में मिल कर बोली लगाने वाली इकाइयों को अलग-अलग कर्ज चुकाने की अपनी क्षमता का प्रमाण-पत्र देना होगा। एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स के अनुसार रुचि पत्र (ईओआइ) की डिजिटल प्रति तय तारीख तक देनी होगी जबकि उसकी कागजी प्रति 14 अप्रैल, 2019 तक जमा कराने देगी।

इस बीच संकट में फंसी निजी क्षेत्र की एअरलाइन जेट एअरवेज के कर्जदाताओं ने विमानन कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरंभिक बोली जमा कराने की तारीख़ बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी है। पहले बोली जमा कराने की समयसीमा बुधवार को समाप्त हो रही थी।

नकदी संकट से जुझ रही एअरलाइन ने पायलटों को वेतन भगतान में विलंब किया है, ऋग के भगतान में चुक की है। इसके अलावा एअरलाइन उसे विमान पट्टे पर देने वालों का भी भुगतान नहीं कर पा रही है। में बोली लगाने वाली कंपनियों को अलग-अलग जेट एअरवेज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई प्रमाणपत्र देना होगा जो संबंधित इकाई के वित्तीय से मिली खबर के मुताबिक सरकारी पेट्रोलियम स्थायित्व का प्रमाण होगा।

कंपनी इंडियन ऑयल ने बुधवार को जेट एअरवेज को ईंधन की आपूर्ति एक बार फिर से रोक दी। पिछले आठ दिन में तीसरी बार आपूर्ति रोक गई है।

एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स ने आठ अप्रैल को रुचि पत्र (ईओआई) निकाला था। उसने अब आरंभिक बोली जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी है। संभावित बोलीदाता अपनी पृछताछ 11 अप्रैल तक कर सकते हैं। एसबीआइ की अगुआई वाला बैंकों का गठजोड़ कंपनी की ऋण समाधान योजना पर काम कर रहा है। एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स ने इस एअरलाइन के ऋणदाताओं की ओर से इसके अधिग्रहण की इच्छक कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं। एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स ने कहा कि बोली लगाने वाली कंपनियों को ऋणशोधन की अपनी क्षमता का प्रमाणपत्र देना होगा। यह उनके लेटरहेड पर होगा जिसे प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इसी स्तर के अधिकारी को सत्यापित करना होगा। गठजोड के रूप

'ई-सिगरेट विनिर्माण व बिक्री पर रोक के लिए कानून बनाए स्वास्थ्य मंत्रालय'

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

ई-सिगरेट की बिक्री और विनिर्माण पर रोक के लिए आयात पर रोक लगाने को कहा था। इससे पहले कानुन बनाने को कहा है। सुत्रों ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि घरेलू स्तर पर इसके बारे । खतरे से निपटने को उचित उपाय करने में देरी पर में कोई कानून नहीं होने पर ई-

संभव नहीं है। इस्से पहले स्वास्थ्य डिलीवरी सिस्टम्स (ईएनडीएस), जिसमें ई मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से

इलोक्ट्रॉनिक डिलिवरी (ईएनडीएस), जिसमें ई

सिगरेट और फ्लेवर्ड हक्का शामिल है, के आयात पर रोक के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा था। एक सुत्र ने कहा कि ईएनडीएस पर कानून के जरिए बिक्री और विनिर्माण पर रोक के बिना आयात पर प्रतिबंध वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन होगा।

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श वाणिज्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से देश में जारी कर ईएनडीएस के विनिर्माण, बिक्री और दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में ई-सिगरेट के नए उभरते नाराजगी जताई थी।

पिछले साल अगस्त में स्वास्थ्य मंत्रालय ने

सिगरेट पर पूर्ण रोक लगाना | इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वाणिज्य मार्च में केंद्रीय औषध मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन मानक नियंत्रण संगठन ने भी सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों को निकोटिन | सिगरेट और फ्लेवर्ड हुक्का शामिल है, के ईएनडीएस के विनिर्माण, बिक्री, सिस्टम्स आयात पर रोक के लिए अधिसूचना जारी आयात और विज्ञापनों की करने को कहा था। अनुमति नहीं देने को कहा था। देशभर के करीब एक हजार

चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईएनडीएस पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। इन चिकित्सकों का कहना था कि भारत में विशेषकर युवाओं में इस 'महामारी' को फैलने से रोकने के लिए तुरंत इन पर

पाबंदी लगाने की जरूरत है।

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government (Regional Director, Northern Region) In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

in the matter of GOEL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED having its registered office at "11, CSC, DDA MARKET, A-BLOCK, SARASWATI VIHAR, DELHI-

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government, power delegated to Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General meeting held on March 25, 2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2rd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address 11, CSC, DDA MARKET, A-BLOCK, SARASWATI VIHAR, DELHI-110034"

For and on behalf of Goel International Private Limited Date: 10.04.2019 Krishan Goel Place: New Delhi

Din: 00754140

THE NORTHERN INDIA FILM STORAGE LIMITED Regd. Off.: 3792, Magazine Street, Churiwalan, Delhi-110006 Email Id: pradeepg707@yahoo.co.in CIN: U92112DL1950PLC001739

FORM NO. INC-25A Pursuant to rule 41 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public company into a Private Limited Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region. In the matter of Section 14 of Companies

Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

The Northern India Film Storage Limited having its registered office at 3792. Magazine Street, Churiwalan, Delhi - 110006,

Notice is hereby given to the General Public

that the Company intending to make application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous to convert into private limited company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General meeting held on 28th March, 2019 to enable the Company to give Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

The Northern India Film Storage Limited Place: Delhi Pradeep Kumar Gupta Date: 11.04.2019 DIN No.: 00329829 Ro: 8-C/2, Rajpur Road, Delhi 110054

For and on behalf of the Applicant

EC stops PM biopic release, web series to be hit too

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, April 10

THE ELECTION COMMIS-SION (EC) on Wednesday

DBI Bank Ltd. Ist Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extn., New Delhi-55, Ph.: 011-66083007, 66083065, 66084896 CIN: L65190MH2004GOI148838 POSSESSION NOTICE APPENDIX IV [RULE 8(1)]

(For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorised officer of IDBI Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01.11.2018 calling upon the borrowers M/S Clarion Projects Pvt. Ltd, Deepak Rastogi, Piyush Rastogi, Pankaj Rastogi, Paresh Rastogi and M/S Rohtas Projects Ltd., to repay the amount mentioned in the notice being Rs.4,72,85,040/-(Rupees Four Crore Seventy Two Lakh Eighty Five Thousand Forty Only) within 60 days from the date of the receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 5th day of April of the year 2019.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IDBI Bank Limited for an amount of Rs. 5,02,91,579/-(Rupees Five Crore Two Lakh Ninety One Thousand Five Hundred and Seventy Nine Only) as on 09.03.2019 with legal expenses and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of a Super Area measuring 964.42 Sqm. (10381 Sq.ft.) bearing Unit No. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 216, 217 and 218 on Second Floor in ROHTAS MATRIX TECHNOSQUARE situated at Plot No. 40, Pocket-I, Sector-Knowledge Park-I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (UP), together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.

Place: Uttar Pradesh Date: 11.04.2019

Authorised Officer (IDBI Bank Limited)



New Delhi

10 April, 2019

DABUR INDIA LIMITED

CIN - L24230DL1975PLC007908 Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to section 201 of The Companies Act, 2013, the Company proposes to make an application to the Central Government for its approval under section 196, Schedule V (part I) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, with regard to appointment of Mr. Mohit Malhotra, as a Whole Time Director of the Company for a period of five years w.e.f. January 31, 2019, Mr. Maihotra not being resident in India for a continuous period of twelve months immediately preceding the date of his appointment.

> By Order of the Board For Dabur India Limited EVP (Finance) & Company Secretary

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg. Hauz Khas, New Delhi-110016, Telefax-011-49857894, mail: engg.cwhc@cewacor.nic.in, Website: www.cewacor.nic.ii

CW, Beesalpur & Chandausi-II (UP)



Dt. 09.04.2019 No: CWC/CO-ENGG./PRESS NOTE/2019-20/1661

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER CWC invites online tenders from the contractors for the following works:

SI. No.	Name of Work		Last date of on line submission of tenders
01	Construction of 10000MTC godown alongwith internal roads, drains & electrical installations at CW, Bhadohi (UP)	522.26	09.05.2019
02	Providing design mix CC roads at CW-BD, Saharanpur (UP)	396.31	09.05.2019
03	Renovation of internal roads & replacement of AC sheet roofing at	158.07	09.05.2019

Detailed Tender Notice alongwith conditions of contract and Notice Inviting E-Tender may be seen and downloaded from the Website www.tenderwizard.com/CWC or www.cewacor.nic.in or www.tenderhome.com or https://eprocure.gov.in/epublish/app. Sd/- Chief Engineer

ASSET RECOVERY BRANCH, 26/28-D, CONNAUGHT PLACE, NEW DELH SCHEDULE 6 [Rule - 8 (1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, The undersigned being the authorised office rof Union Bank of India, Asset Recovery Branch at uated at 26/28-D. Company to Place, New Delhi under the Securitzation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002[54 or 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice Ref No. OSB:MV:102:2016 dated 03.05.2016 calling upon the borrower M/S Gardenia India Ltd., And its Directors/guarantors Shri Sanjeev Kumar, Sh. Manoj Kumar Ray, Mrs. Anupama Kumari, Smt. Poonam Kumari and Gardenia Shelters Pvt. Ltd to repay the amount mentioned in the notice being Rs . 21,58,60,716.71 (Rupees Twenty One Crore Fifty Eight Lacs Sixty Thousand Seven Hundred Sixteen and Paise Seventy One Only) along with interest @ contractual rate of interest from

01.05.2016 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower & guarantors having failed to repay the amount, notice is hiereby given to the borrowerigularantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her

uinder Seichon 13 [4] read with rule 8 of the said rules on **08.04.20 19**. The borrower/guarantors in particular and the public in general is here by cautioned not to deal with the property and any dealings with the properly will be subject to the charge of the Union Bank Of India for an amount Rs. .21,58,60,716.71 (Rupees Twenty One Crore Fifty Eight Lacs Sixty Thousand Seven Hundred Sixteen and Paise Seventy One Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured as sets

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Immovable property i.e. all structure and built up Group Housing Complex situated at Gardenia Gitanjali, bearing no. GH-12, Sector-18, Vasundhara Yojana, Ghaziabad, UP Authorised Officer, Union Bank of India

Date: 08.04.2019, Place: Delhi

यूनियन बैंक

MOTI BAGH BRANCH, OPP. HYAAT HOTEL, NEW DELHI

SCHEDULE 6 [Rule - 8 (1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property) Whereas, The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, Mot Bagh Branch situated at Palika Bhavan, Oposite

Hyaff Hotel, New Delhi [India] under the Secuntization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Secunty Interest Act 2002|54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13|12) read with rule 3 of the Security Interest |Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice Ref No. MB:ADV:UPPL:3006A:2018 dated 30.06.2018 calling upon the borrower/ Guarantors Mrs. Sital GuptaW/o Shri Ved Prakash Gupta to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 50,79,65,452.71 (Fifty Crore Seventy Nine lakhs Sixty Five Thousand Four Hundred Fifty Two Rupees and Seventy One Paisa only) along with interest @confractual rate of interest from 30,06,2018 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower & guarantors having failed to repay the amount, notice is hiereby given to the borrowerlgularantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) read with rule 8 of the said rules on **04.04.20 19**

The borrower/guarantors in particular and the public in general is here by cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank Of India for an amount Rs . 50,79,65,452.71 (Fifty Crore Seventy Nine lakhs) Sixty Five Thousand Four Hundred Fifty Two Rupees and Seventy One Paisa only) and inferest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to

redeem the secured as sets. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Shop No. LG-11, Lower Ground Floor, Krishna Palace, Basai Road, Sohna Chowk, Gurgaon in the name of Mrs. Sita Gupta Wo

Shri, Ved Prakash Gupta

Date: 04.04.2019, Place: Delhi Authorised Officer, Union Bank of India

यूनियम बैंक 🌀 Union Bank

MOTI BAGH BRANCH, OPP, HYAAT HOTEL, NEW DELHI

SCHEDULE 6 [Rule - 8 (1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property) Whereas, The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, Moti Bagh Branch situated at Palika Bhavan, Oposite Hyatt Hotel, New Dethi (India) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002[54 of 2002] and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules. 2002 issued a demand notice Ref No. MB:ADV:UPPL:3006A:2018 dated 30.06.2018 calling upon the borrower/ Guarantors Mrs. Sita GuptaW/o Shri Ved Prakash Gupta forepay the amount mentioned in the notice being Rs. 50,79,65,452,71 (Fifty Crore Seventy Nine takhs Sixty Five Thousand Four Hundred Fifty Two Rupees and Seventy One Paisa only) along with interest @ contractual rate of in terest from 30.06.2018 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower & guarantors having failed to repay the amount, notice is hiereby given to the borrowerigularantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her uinder Section 13 [4] read with rule 8 of the said rules on 04.04.20 19 The borrower/guarantors in particular and the public in general is here by cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of the Union Bank Of India for an amount Rs . 50,79,65,452.71 (Fifty Crore Seventy Nine lakhs Sixty Five Thousand Four Hundred Fifty Two Rupees and Seventy One Paisa only) and interest thereon The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to

redeem the secured as sets. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Shri. Ved Prakash Gupta Date: 04.04.2019, Place: Delhi

Shop No. LG-12A, Lower Ground Floor, Krishna Palace, Basai Road, Sohna Chowk, Gurgaon in the name of Mrs. Sita Gupta Wo Authorised Officer, Union Bank of India deferred the release of PM Narendra Modi, the biopic starring Vivek Oberoi, "till further orders", a day before its scheduled release.

In a separate order, the poll panel also imposed a ban on public screening of "any biopic" material in the nature of biog-

> Form INC-26 [Pursuant to Rule 30 of Companies (incorporation) Rules, 2014)

ADVERTISEMENT TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPER FOR CHANGE OF REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY FROM ONE STATE TO ANOTHER BEFORE CENTRAL GOVERNMENT.

NORTHERN REGION IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013, SECTION 13(4) AND COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014, RULE 30(5)(a) AND

IN THE MATTER OF STORYMIRROR INFOTECH PRIVATE LIMITED, A COMPANY

INCORPORATED UNDER COMPANIES ACT, 2013 ON 28° JANUARY, 2015, HAVING ITS REGISTERED OFFICE SITUATED AT F NO. 2071, SECTOR C, PKT VASANT KUNJ, SOUTH WEST DELHI, DELHI - 110070,

INDIA....APPLICANT Notice is hereby given to the General Public that the Company propose to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 25" March, 2019 to enable the Company to change its Registered Office from "Union Territory of Delhi" to "State of Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on ICA-21Portal (www.mca.gov.in by filing investor compilant form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of apposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi - 110003. within 14 (Fourteen) Days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office address mentioned

F NO. 2071, SECTOR C, PKT VASANT KUNJ, SOUTH WEST DELHI, DELHI - 110070, INDIA

For and Behalf of the Applicant Mr. Bibhu Datta Rou (DIN: 07677674) Director

Date: 11/04/2019

MAJESTIC AUTO LIMITED REGD. OFFICE: C-48, FOCAL POINT **LUDHIANA-141 010**

CIN: L35911PB1973PLC003264 www.majesticauto.in, email: info@majesticauto.in

NOTICE Notice is hereby given Pursuant to the

Regulation 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 18th day of April, 2019 to, inter alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2019.

The information contained in this notice is also available on the company website www.majesticauto.in and also on Stock Exchange website www.bseindia.com.

For Majestic Auto Limited

Place: Noida

(Juhi Garg) Date: 10.04.2019 Company Secretary Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office

of the company from one state to another Before the Central Government Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section

13 of Companies Act, 2013 and clause (a)

of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of Solaris Chemtech

Industries Limited having its registered office at Thapar House, 124 Janpath, New Delhi-110001, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on March 23, 2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

SOLARIS CHEMTECH INDUSTRIES LIMITED Thapar House, 124 Janpath, New Delhi-

For and on behalf of the Applicant

Rupesh Kumar Mishra Place: New Delhi Company Secretary Date: 10.04.2019 M. No.: F8861

raphy/ hagiography" which could serve the interest of a political party or candidate while the Model Code of Conduct is in force. The order was sent to the information and broadcasting ministry, Central Board of Film Certification and all state Chief Electoral Officers.

> According to sources, the "umbrella order" would also apply to the 10-part web series Modi: Journey of a Common Man which is currently being streamed on Eros Now platforms. A copy of the order will be sent to the ministry of electronics and information technology. The order came a day after

the Supreme Court dismissed

a petition seeking a stay on the

film's release, and left it to the EC to decide "whether the film will tilt the electoral balance in favour of any political party". The Commission's order underlined that "under Arti-

cle 324 of the Constitution, superintendence, direction and control of elections are bestowed upon the Commission and it is the duty of

the Commission to take necessary measures to create a level playing field and provide a conducive electoral environment to all the stakeholders." The EC recalled that "in

catena of judgments, Hon'ble Supreme Court has held and acknowledged that the Model Code of Conduct, which ensures free and fair electoral process, which is sin[e] quanon for the electoral democracy", and said that it was of "the considered view that there is an emergent need for intervention in the matter of those 'political contents' which are intended (or purported to be) for benefitting or discrediting the electoral prospect of any candidate or/ and any political party, for ensuring a level playing field". The order, sources said,

would also apply to biopics of NT Rama Rao (Lakshmi's NTR) and Telangana chief minister K Chandrasekar Rao.

The ban also applies to display of posters and publicity material related to the biopics in print and electronic media.

Candidates

83

32

8

8

BSP, CPI, CPI(M) and NCP, is

available on their official

and EC directions, all candi-

According to SC judgment

April 11 in phase 1 of general elections

INC

BJP

BSP

CPI

CPI(M)

NCP

ELECTIONS 2019: PHASE 1

91 Lok Sabha seats, 3 state assemblies

Ninety-one Lok Sabha constituencies spread across 18 states and two UTs, including all in Andhra Pradesh and Telangana, will go to polls on Thursday in the first phase.

April 11 (Thursday)

All Lok Sabha seats in

Andhra Pradesh (25) and


Telangana (17) to go for polling

Pollingto take place in 20 states



14.2 Crore voters on electoral rolls...

Seats contested to be third highest among seven phases Over 1.7 lakh polling booths set up



All political parties violate Supreme Court order, EC directions, says ADR

SAILING IN THE SAME BOAT

Of the 91 Lok Sabha seats in 20 states go to poll on

% of candidates with

serious criminal cases

27

dates themselves and their

parties should have publicised

criminal cases against candi-

dates fighting the first phase

of elections between March

FE BUREAU New Delhi, April 10

THE ASSOCIATION OF Democratic Reforms (ADR) has found that all political parties have violated the Supreme Court direction given last year that mandated political parties to widely publicise criminal antecedents of their candidates on the party's websites and three times on different dates in local dailies.

In its letter to the Election

Commission, ADR said the information on pending criminal cases of only eight candidates out of 30 fielded for phase 1 of polling are listed on the Telangana state website of BJP. No such information for

other parties, including INC,

JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers

89, Nehru Place, New Delhi - 110 019

Ph.: 011-26427104; Fax: 011-2642710

E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEB Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on 18" April, 2019 a Gurugram (Haryana) to consider and approve, inter-alia, the Audited Financia Results of the Company for the fourth Quarter and Year ended 31" March, 2019 and to recommend dividend, if any, for the financial year 2018-2019.

The above details of the said meeting are also available on the Company's website at www.jbmgroup.com and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading the trading window for dealing in shares of the Company shall remain close for Directors / Officers / Designated employees of the Company from 3" April, 2019 until the end of 48 hours after the results are made public or 18" April, 2019.

for JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Place : Gurugram

(Ravi Arora)

उत्तर प्रदेश सहकारा चाना ामल्स संघ ।लामटड पीबीएक्स : 2612849, 2615722, 2201856 तार : 'SUGARFED' Fax: (0522) 2627994, 2201447 ईमेल : upsugarfed@yahoo.co.in वेबसाइट : www.upsugarfed.org

TENDER NOTICE On line e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors/authorized

dealers (as per details given in tender documents) for supply of M.S. & G.I. Pipe, Brass tubes, Cast Steel items, Stainless Seel Tubes & V Belts, to various Cooperative Sugar Factories of U.P. The e-tender documents with detailed specifications, make terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal http:/etender.up.nic.in and Federation's website www.upsugarfed.org, time to time. The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or a

bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision o Federation will be final & Binding. (Bimal Kumar Dubey Managing Director

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI In the Matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013, n the Matter of Rule 30(6)(a) of Companies Incorporation Rules 2014

In the Matter of M/s GIRDHAR INFRACITY PRIVATE LIMITED

Having CIN No. U70100DL2012PTC234086 at its registered office at

this notice with the company of the applicant at its registered office at address

H. NO. 1034, GALI HIRA NAND MALI WARA, DELHI-110006 Notice is hereby given to the general Public that the Company Propose to Make an Application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on Monday, 25th day of March, 2019 to enable the Company to change the Registered office from the "State of National Capital Territory of Delhi* to "State of Uttar Pradesh". Any person

. H. NO. 1034, GALI HIRA NAND MALI WARA, DELHI-110006 Regional Director, B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN. CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003

with the SC order and the ECI

29 to April 9.

directions in the first phase of General Elections 2019. It is requested that action as deemed fit may kindly be taken," ADR said in its letter

parties have not complied

"It appears that political

An analysis based on affidavits filed by these candidates, ADR found that 27% of the candidates from INC have serious criminal cases against them.

Other parties in the analysis were BJP (19%), BSP (13%) CPI (13%), CPI (38%) and NCP (33%) (see chart). Serious criminal cases include charges of murder, rape and kidnapping, among others.

Zala and Bechraji MLA

said they were not resigning

from the party or as MLAs, but

am not resigning as an MLA. I

am not going to do poll cam-

paigning for or against any

"I am not joining the BJP. I

supported Alpesh Thakor.

Zala and Bharat Thakor

Bharat Thakor.

Alpesh Thakor quits Congress

PRESS TRUST OF INDIA Ahmedabad, April 10

IN A SETBACK to the Congress in Gujarat days before the Lok Sabha elections, OBC leader Alpesh Thakor on Wednesday quit the party.

Thakor, appointed national secretary after joining the party in 2017, said in a letter to Gujarat Congress chief Amit Chavda that he was resigning from all the posts in the party due to insults and betrayal.

"I should not stay in a party where I am being insulted, ignored and betrayed," he said.

"Poor youth of my community were angry and upset as they were ignored and insulted. For me, Thakor Sena is supreme... My Sena had asked me to leave a party if we are ignored, insulted and cheated there," he added in the letter.

Amit Chavda said he will speak with Thakor before saying anything to the media. Addressing a press confer-



not joining the ruling BJP. "Thakor Sena helped

Congress win almost 43 seats during the 2017 Assembly polls. But our youth were sidelined and even humiliated after the elections got over. I had repeatedly asked the party leaders to give suitable posts to our youth in their organisation," he said.

Thakor was accompanied by two Congress legislators from the Thakor community - Bayad MLA Dhavalsinh

Lok Sabha candidate (of Congress or BJP). I will campaign for Thakor Sena candidates who are contesting from Banaskantha Lok Sabha seat and Uniha assembly seat (bypoll)," Alepsh said. The OBC leader claimed

that some Congress leaders in Gujarat were "selling" poll tickets. He also alleged that the Congress' in-charge for Gujarat, Rajiv Satav, "did nothing despite my repeated requests to give proper posts to our youth."

Earlier on Wednesday, the Gujarat Kshatriya Thakor Sena, an outfit floated by him, had given him an ultimatum to resign from the Congress within 24 hours.

EC says Telangana CM prima facie violated model code by making communal remarks

New Delhi, April 10

THE ELECTION COMMIS-SION has issued ashowcause notice to Telangana chief minister K Chandrashekhar Rao, finding him prima facie guilty of allegedly passing derogatory remarks against Hindus while addressing an election rally in Karimnagar last month.

Now, he has been asked to furnish his reply by April 12 evening, failing which the Commission will take a decision "without any further reference to you". The Commission said VHP state president M Rama

Raju had filed a compliant which claimed that the Telangana Rashtra Samathi chief "tried to secure votes by passing derogatory remarks against Hindus while addressing an election rally at Karimnagar on March 17."

duced his remarks in Telugu but did not give English

translation of the same.

"... the Commission is,

prima facie, of the opinion that by making the aforesaid statement which has the potential of disturbing harmony and aggravating existing differences between social and religious communities, and appealing to communal feelings, you have violated the... the Model Code of Conduct," the notice served on Tuesday

The poll panel reminded

Rap of the provision of the

poll code which states that no party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic; and prohibits appeal to communal feel-

ings for securing votes. The model code came into force on March 10 when the schedule for the sevenphased Lok Sabha elections

The Commission has prowas announced.

whose Interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver or cause to be deliver or sent by registered post of his/her objection supported by an affidavit stating the nature of his or her objection and grounds of options to the 21 days from the date of publication of

> For & on behalf of the Board For GIRDHAR INFRACITY PRIVATE LIMITED (Ritesh Agarwal)

At the press conference,

PRESS TRUST OF INDIA